संख्या-81/2015/2932/71-2-15-के0जी0-10/2006

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2015**

विषयः- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के ट्रान्सफयूजन मेडिसिन विभाग में विद्यमान टेक्नीकल सुपरवाइजर को ग्रेड वेतन रू0 4800/- अनुमन्य करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-5928/ई0/2015, दिनांक 14.08.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के ट्रान्सफयूजन मेडिसिन विभाग में चिकित्सा शिक्षा अनु0-3 के शासनादेश संख्या-683/71-3-08-के0जी0-10/2006, दिनांक 06 अगस्त, 2008 द्वारा वेतनमान रू0 6500-10500 पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- में टेक्नीकल सुपरवाइजर का एक पद सृजित किया गया था। उक्त टेक्नीकल सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति हेतु पोषक संवर्ग वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन (ग्रेड वेतन रू0 4200/-) पद पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासनादेश सं0-वे0आ0-2-697/दस-2014-8(मु0स0स0)/2011 दिनांक 24.09.2014 एवं शासनादेश सं0-वे0आ0-2-664/दस-54(एम)/2008 दिनांक 26.09.2013 में लिये गये निर्णयों, के क्रम में शासनादेश संख्या-24/2015/4272/71-2-14-के0जी0एम0यू0-68/2014, दिनांक 03 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित उच्चीकृत वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/- स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार टेक्नीकल सुपरवाइजर एवं पोषक संवर्ग वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन का समान ग्रेड वेतन रू0 4600/- हो गया है। अतः उक्त विसंगति के निराकरण हेतु श्री राज्यपाल महोदय टेक्नीकल सुपरवाइजर के पद पर वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/- के स्थान पर इस शासनादेश को निर्गत किये जाने की तिथि से वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4800/- स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त उच्चीकृत वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त् (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2577/दस2009-59(एम)/2008, दिनांक 29 जून, 2010 के अनुसार किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-834/दस-2015, दिनांक 05.10.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-81/2932(1)/71-2-15-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5. वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1/2
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त ¼आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. विभागाध्यक्ष, ट्रान्सफयूजन मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
8. सहायक निजी सचिव, कुलपति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ। ।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।